

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(अनुभाग-3 महात्मा गांधी नरेगा )

कार्यवाही विवरण वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग दिनांक 20.10.2014

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु दिनांक 20.10.2014 को जिला स्तरीय अधिकारियों एवं पंचायत समिति स्तरीय अधिकारियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग का आयोजन आयुक्त नरेगा, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में राज्य स्तर से निम्न अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया :-

- |                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 1. श्री के.एल. स्वामी     | परि. निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस     |
| 2. श्री देवराज            | वित्तीय सलाहकार, नरेगा            |
| 3. श्री रामअवतार सांवरिया | अतिरिक्त आयुक्त, सामाजिक अंकेक्षण |
| 4. श्री एम.डी.मीना        | अतिरिक्त आयुक्त प्रथम, ईजीएस      |
| 5. श्री एस.आर.पिलानिया    | अतिरिक्त आयुक्त द्वितीय, ईजीएस    |
| 6. श्री हितबल्लभ शर्मा    | अधीक्षण अभियन्ता, ईजीएस           |
| 7. श्री एन.के.जोशी        | अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस           |
| 8. श्री एस.के.भादू        | उप वन संरक्षक, ईजीएस              |
| 9. श्री मुकेश विजय        | अधिशाषी अभियन्ता, नरेगा           |

वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग की शुरुआत करते हुए सर्वप्रथम आयुक्त ईजीएस द्वारा बताया गया कि-

- "विकास अधिकारी गण भामाशाह कैम्प के कार्य में व्यस्त है परन्तु इसका विपरीत प्रभाव महात्मा गांधी नरेगा योजना के क्रियान्वयन पर नहीं होना चाहिए।
- नरेगा योजना को व्यवस्थित रूप से चलाना आवश्यक है ना कि खानापूर्ति किया जाना।
- योजनान्तर्गत व्यय के अनुरूप परिसम्पतियों का निर्माण नहीं हो रहा है।
- योजना के बेहतर क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्र का भला किया जा सकता है, इसके लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारियों एवं विकास अधिकारियों द्वारा leadership से कार्य किये जाने की आवश्यकता है।
- नरेगा योजना में कराए जा रहे कार्यों का आऊटकम होना आवश्यक है।
- योजनान्तर्गत हुए व्यय से ग्रामीण क्षेत्रों में आमूल-चूल परिवर्तन दृष्टिगत नहीं होता है।

अ. ग्रामीण विकास मंत्रालय की परफोरमेंस रिव्यू कमेटी (PRC) में शामिल एजेण्डा बिन्दुओं के संबंध में निर्णय एवं दिशा निर्देश :-

1. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 21.07.2014 को अधिसूचित किये गये प्रावधान के अनुरूप योजनान्तर्गत कम से कम 60 प्रतिशत व्यय कृषि एवं इससे जुड़ी गतिविधियों पर आवश्यक रूप से किया जावे। इसके लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा यह भी स्पष्ट किया जा चुका है कि कौन-कौन से कार्य इसके तहत कराए जा सकते हैं। जिन जिलों में इस प्रकार के कार्यों पर व्यय का प्रतिशत 60 से कम है, इनमें शेष रहे आगामी माह में इस श्रेणी के अधिक से अधिक कार्य कराए जावे।
2. जिला कन्वर्जेंस प्लान के लिए 25 से 30 अक्टूबर के मध्य जिला स्तर पर बैठक आयोजित कर जिला कन्वर्जेंस प्लान अनुमोदित कराया जाकर राज्य स्तर पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जावे। बैठक की तिथि से तीन दिवस में अधिशाषी अभियंता श्री मुकेश विजय को अवगत कराया जावे।
3. प्रत्येक कार्य का कुछ ना कुछ आउटकम आवश्यक रूप से होता है। तत्संबन्धी सूचना का एम.आई.एस. में इन्द्राज सुनिश्चित किया जावे। भारत सरकार के निर्देशानुसार नये कार्य बिना आउटकम के इन्द्राज के कराया जाना संभव नहीं है। वर्तमान में प्रगतिरत कार्यों के आउटकम का इन्द्राज भी एम.आई.एस. में किया जावे।
4. श्रम भुगतान में विलम्ब अस्वीकार्य है। पोस्ट ऑफिस एवं सहकारी बैंकों के माध्यम से किये जा रहे भुगतान समय पर लाभार्थी को किया जा सके, इसके लिए राज्य स्तर पर भी मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव सहकारिता विभाग के स्तर पर बैठक भी की गयी है। जिला स्तर पर भी पोस्ट ऑफिस एवं सहकारी बैंक के अधिकारियों के साथ बैठक कर विलम्बित भुगतान पर अंकुश लगाए जाने का प्रयास किया जावे।

आधार नम्बर आधारित भुगतान भी राज्य में प्रारम्भ किया जा चुका है। अतः आधार नम्बर की सीडिंग भी एम.आई.एस. पर सुनिश्चित की जावे।

दीपावली के त्यौहार से पूर्व देय समस्त भुगतान लाभार्थी को किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

5. विलम्बित भुगतान का निर्णय निष्पक्ष एवं वास्तविकता के अनुरूप किया जावे। भुगतान में विलम्ब होने पर नियमानुसार विलम्बित भुगतान मुआवजा संबन्धित लाभार्थी को दिया जावे। दोषी कार्मिक की responsibility तय की जावे एवं यदि वास्तव में कार्मिक दोषी है तो उससे राशि वसूल की जावे।



6. बेरोजगारी भत्ते के भी प्रकरणों का निस्तारण किया जाना है। इनका निर्णय भी निष्पक्ष तरीके से एवं वास्तविकता के अनुरूप किया जावे। बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाना है, इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि राशि का भुगतान नहीं किया जाना है अपितु यह है कि समय पर रोजगार आवश्यक रूप से उपलब्ध कराया जाना है।
7. मॉडल तालाब, राजकीय परिसरों में वृक्षारोपण तथा सड़क किनारे वृक्षारोपण राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार दोनों की प्राथमिकता है। इसके लिए उपयुक्त कार्य योजना तैयार की जावे। इन सभी की प्रगति अत्यन्त कम है। पौधारोपण के साथ ही इनके रख-रखाव के प्रावधान भी आवश्यक रूप से किये जावे।
8. वृक्षारोपण हेतु नर्सरी के विकास की भी योजना तैयार की जावे। राज्य में पुराने तालाब अत्यन्त उपयोगी एवं मजबूत हैं परन्तु योजनान्तर्गत निर्मित किये जा रहे तालाब इतने उपयोगी निर्मित नहीं हो पा रहे हैं। मजबूत पाल के साथ-साथ इनका सौन्दर्यकरण भी किया जावे।
9. चित्तौड़गढ़ जिले द्वारा करायी गयी पंचफल योजना के अनुरूप, केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित मुजफ्फर नगर मॉडल के अनुरूप अथवा क्षेत्र विशेष में लगने वाले पौधों के अनुरूप कार्यवाही की जावे।
10. प्रधानमंत्री जन-धन योजना तथा भामाशाह योजना के तहत खोले जा रहे CBS enabled खातों का नरेगा सॉफ्ट में इन्द्राज सुनिश्चित किया जावे ताकि विलम्ब से भुगतान पर अंकुश लगाया जा सके। प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत अधिक से अधिक CBS enabled खाते खोले जाने का प्रयास किया जावे।
11. सामाजिक अंकेक्षण की कार्यवाही की खानापूर्ति नहीं की जावे अपितु यह एक महत्वपूर्ण कार्य है उसके अनुरूप ही सामाजिक अंकेक्षण का कार्य किया जावे। योजनान्तर्गत accountability भी अनिवार्य है। साथ ही सामाजिक अंकेक्षण के दौरान पायी जाने वाली कमियों पर प्रभावी कार्यवाही भी आवश्यक है। कुछ जिलों में अभी तक बी.आर.पी एवं जी.आर.पी. का चयन भी नहीं हुआ है एवं कुछ जिलों में सामाजिक अंकेक्षण की कार्यवाही, जारी कलैण्डर के अनुसार नहीं किया गया है। हालांकि सामाजिक अंकेक्षण किये जाने की अन्तिम तिथि 16 अक्टूबर नियत थी परन्तु कुछ जिलों में इस तिथि के उपरान्त भी सामाजिक अंकेक्षण की तिथि रखी गयी है। अब सामाजिक अंकेक्षण की कार्यवाही तुरन्त पूर्ण करे।

जिन जिलों में आन्तरिक अंकेक्षण हेतु लेखा कार्मिकों का पदस्थापन किया जा चुका है, में तकनीकी कार्मिक उपलब्ध कराए जावे ताकि इनकी सेवाओं का लाभ लिया जा सके।

प्राप्त शिकायतों के प्रकरण भी सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा में चर्चा किये जावे।



ब. महात्मा गांधी नरेगा की महत्वपूर्ण गतिविधियों की अर्द्धवार्षिक समीक्षा (अप्रैल – सितम्बर 2014)  
निर्णय एवं दिशा निर्देश :-

1. औसत श्रमिक दर के कम में :- औसत मजदूरी दर कम होने की स्थिति में संबन्धित मेट को ब्लैकलिस्ट किया जावे एवं राज्य सरकार को अभी तक कितने मेट ब्लैकलिस्ट किये गये हैं, की सूचना उपलब्ध करायी जावे।
2. कार्य पूर्णता की स्थिति :- कार्य पूर्णता दर बढ़ाये जाने हेतु जिला स्तर पर अधिशाषी अभियन्ता द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जावे एवं जो कार्य पूर्ण हो चुके हैं, का इन्द्राज एम.आई.एस. पर किया जावे। इसके लिए सभी अभियन्तागण विशेष रूप से रुचि ले।
3. व्यक्तिगत लाभ के कार्य :- व्यक्तिगत लाभार्थी के कार्यों पर भी व्यय कम है। व्यक्तिगत लाभार्थी के अधिकतर कार्य कृषि एवं इससे जुड़ी हुई गतिविधियों से संबन्धित है। साथ ही इनसे संबन्धित लाभार्थी की आजीविका में भी वृद्धि होती है। योजनान्तर्गत इस श्रेणी में कार्य स्वीकृत भी है परन्तु कार्यों पर रोजगार सृजन तुलनात्मक रूप से कम है। अतः इस प्रकार के कार्य अधिक से अधिक कराये जाने का प्रयास किया जावे।
4. सामग्री मद पर निर्धारित प्रतिशत मय व्यय की स्थिति :- सामग्री मद में निर्धारित 40 प्रतिशत से कम है। योजनान्तर्गत केवल कच्चे कार्य ही नहीं कराये जावे। अधिकतर यह कहा जाता है कि सामग्री मद में 40 प्रतिशत तक की सीमा में वृद्धि की जावे परन्तु 2-3 जिलों को छोड़कर, किसी भी जिले में सामग्री मद में व्यय 40 प्रतिशत के आस-पास भी नहीं है। सामग्री मद में अधिक व्यय हेतु अन्य स्कीम/योजना से कन्वर्जेन्स किया जा सकता है।
5. प्रशासनिक मद :- नरेगा योजनान्तर्गत जिला स्तर तक प्रशासनिक मद में श्रम एवं सामग्री पर कुल व्यय का 5 प्रतिशत की राशि का व्यय किया जाना अनुमत है। इसमें से कुछ जिलों में प्रशासनिक मद में व्यय अत्यधिक है। प्रशासनिक व्यय को निर्धारित सीमा तक रखे जाने हेतु नियोजित कार्मिकों की संख्या एवं उनके द्वारा सम्पादित किये जा रहे कार्य का विश्लेषण किये जाने की आवश्यकता है। आवश्यकता से अधिक कार्मिकों को अन्य स्थानों पर पदस्थापित किया जावे।
6. उपयोगिता प्रमाण पत्रों के समायोजन की स्थिति :- उपयोगिता प्रमाण पत्रों के समायोजन की स्थिति अधिकांश जिलों में बहुत अच्छी है। जिन जिलों में वसूली की कार्यवाही के कारण समायोजन की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो पा रही है, उन जिलों द्वारा नामजद वसूली की सूचना राज्य को प्रेषित की जावे।
7. आधार सिडिंग कार्य :- भामाशाह योजना के तहत आधार नम्बर की सूचना भी प्राप्त की जा रही है। इसका इन्द्राज नरेगा सॉफ्ट में भी किया जावे।

स. अन्य विचारणीय बिन्दु, निर्णय एवं निर्देशों:-

1. राज्य में पिछले 6 माह के दौरान जिन ग्राम पंचायतों में कार्य नहीं हुए हैं, में कार्यरत नरेगा कार्मिकों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही से आज ही राज्य सरकार को मेल द्वारा अवगत कराया जावे।
2. वर्तमान में निर्धारित प्रत्येक मंगलवार को कार्यों के निरीक्षण के स्थान पर प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को कार्यों के निरीक्षण किये जावे परन्तु निरीक्षण प्रभावी रूप से किये जावे तथा इनकी सूचना राज्य को प्रेषित की जावे।
3. इसी प्रकार जिन ग्राम पंचायतों में पिछले 6 माह के दौरान कोई कार्य नहीं कराए गए हैं, ऐसी ग्राम पंचायतों पर कार्यरत ग्राम रोजगार सहायक/कनिष्ठ लिपिक के विरुद्ध की गयी कार्यवाही से आज ही मेल द्वारा सूचना उपलब्ध करायी जावे।

अन्त में दीपावली की शुभकामनाओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग सधन्यवाद समाप्त हुई।

(डॉ० समित शर्मा)  
आयुक्त, ईजीएस

क्रमांक एफ 5(29)ग्रावि/नरेगा/वीसी/14-15

जयपुर, दिनांक :

27 OCT 2014

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
- 2 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
- 3 निजी सचिव, शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग।
- 4 निजी सचिव, आयुक्त, नरेगा।
- 5 मुख्यालय के समस्त अधिकारीगण, श्री .....
- 6 अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
- 7 अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा जयपुर/बाडमेर।
- 8 कार्यक्रम अधिकारी महात्मा गांधी नरेगा सह विकास अधिकारी पंचायत समिति समस्त।
- 9 रक्षित पत्रावली।

परि.निदे एवं उपसचिव, ईजीएस